

एम०पी० एम०य०, ए०.१०.२०१३। २२-०१-१४
१३६९। दि-१०।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-९
संख्या - २२ /५-९-२०१३-९(५६) / २०१३
लखनऊ : दिनांक : ५ जनवरी, २०१४

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का द्वितीय चरण माह अप्रैल, 2012 से माह मार्च, 2017 तक प्रभावी है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रथम चरण में निष्पादित एम०पी०य० के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन के गठन विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-२८९१/५-९-०६-९-(२८५, /०४टी० सी०-१ दिनांक १६ नवम्बर, २००६ में निम्नवत संशोधन/परिवर्धन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

गठन	प्रचलित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
सदस्य :	मा० मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०।	मा० मंत्री, चिकित्सा शिक्षा/आयुष, उ०प्र०।
"	-----	मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०।
"	-----	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
(P)	-----	प्रमुख सचिव/सचिव-चिकित्सा शिक्षा (आयुष)/बेसिक शिक्षा/लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
"	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
"	आई०एम०ए०, यू०पी० का प्रतिनिधि	नामित अशासकीय (५-८) सदस्य—आई०एम०ए०,आई०पी० एच०, फॉग्सी, आई०ए०पी० एवं स्वैच्छिक संस्था आदि।
"	यूनिसेफ का प्रतिनिधि	यूनीसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि, चिन्हित विकासशील सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि।
"	अधिशासी निदेशक, सिफ्सा	निरसन
बैठक का अन्तराल :	राज्य स्वास्थ्य मिशन की बैठक लगभग ०६ माह पर आयोजित की जायेगी।	राज्य स्वास्थ्य मिशन की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी।
कर्तव्य एवं दायित्व :	राज्य स्वास्थ्य मिशन की बैठक में नीति विषयक निर्णय, कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा, अन्तर्विर्भागीय समन्वय तथा कार्यक्रम की विश्वसनीयता/पारदर्शिता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जायेंगे।	राज्य स्वास्थ्य मिशन की बैठक में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य निर्धारक सम्बन्धी नीति विषयक निर्णय, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा, अन्तर्विर्भागीय समन्वय तथा कार्यक्रम की विश्वसनीयता/पारदर्शिता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय, सी०ए०जी० एवं स्टैटुअटरी ऑडीटर्स की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाना तथा ऑडीटरों द्वारा इंगित बिन्दुओं पर अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत किया जाना।

२— वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक १६ नवम्बर, २००६ इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव, उ०प्र०।

संख्या- ७७ (१) / पांच-९-२०१३ तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, सम्बांधित मा० मंत्रिगण, उ०प्र० शासन को मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. अन्य सभी सम्बंधित सदस्यगण।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
10. कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।